कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल पंजा कमांक. २५५ भार))६ विषय : -न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क. 2384/16 (एस) 31, रनयोज गुप्ता र्रनारा पा हिन्दी विरुद्ध 2/149 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्रावामं प्रावामं ो प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्स्यूपी. 2384 16 (एस) व मान हुई है। प्राप्त याचिका का सबध उनापानी (नेवा जोड़ने नानन प्रकल्ण में प्रम्थारी 2114. Bartailojee 461. (41) प्रमाण अधिकारी नियुक्त किया जाना है, कृपया अनुमोदन करना चाहे क नाना हो ता प्रभारी अधिवारं। नियुक्ति आदेश की रक्छ प्रतियो पर हर न Atand, 200 . 42 will be an low महावि साग्न की प्राप्ती अधिकारी वि. म. अ. (न्या प्रकोब्न) A of की लमाने History

अर छम्.

कार्यालय, आयुक्तं, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

Transfer S.	पता व भाग
विषय:	,
न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र.	238.4/ 16 (एस) डा. (४२) अथुपा
र्नास-प्रा. विन्त्री विरुद्ध	शानिहाना है।
76-57-48-37 1400	
00	-
सचिव मध्यप्रदेश शासन ज.शि. (August at many
वनाव में अतिरिवत संचालक	The strain with
	को प्रमारी आधेवाण मिराक
ितया जो चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जार्र	करने हेतु नस्ती विधि विभाग का जार
अकिस करना, वाहें।	
S.O. MAN MEDICAL PROPERTY OF A	1000
	बी के, चोरसिया
ायम्त्र सिध्य महोवय	tames
Lawrence T. Daniel Louis	
विक्रि विभाग	
शिक्त विभाग	pots of
	9
1 18 11 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1	AAsing.
31 631-12	
P. Carlotte	
7.44	

Grovt.

पृष्ठ क... 🕄

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. २५५. रा. १०१८:५ | २०१६

		and manage of the state of the
विषय:- 🕶 भागात	नमीन अडरण क्रमांड थि । 238	34/2016 21 संग्रेलगुल
STE	मद मारमायड - हिन्दी डाम	क्षेत्र क्या एवं व्यक्तिक
215	विद्यालाश सागर चिरुका	शासन हैन जन्म
		.10/
त्रेय मेटर क	!- भिष्णा पूर्व प्रवट कुलांड	् । (६३) उपनेसार कामाहित
	N N	191411111
क्रांगाश स्माग्रह	(अ. ७) के जातिक से	रह अपित्रा ट्राम
A /) (M) / M	
toris!	29/02/16	
32	चार्याच्या	
	(123h	
2/16	2	
	Supply of the same	
nta	(/2009	
	7/1-	Den
	b /	1-2.
194		25 3
	10116	(no
1300	05/03/16	E No.
		128/10
0	CU88-89	031
0	G1165-488-89	4/8/00
	91	
)		
No.		
The state of the s		AND THE PARTY OF T

Gov+:

क्रिक छा

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. री. प्र. रा. रा. ५ १ १४

Tava: - 5 717101712 40201 Bris WP. 2384/2016 51: 4210 शिट्या काहाअव काहामान - हिन्दी - मामाभी व क्या हन आशिका अल्पानहालक सागर विकट्ड शासन । वित्रक सर 43200 में हो। डेगार . जा हैशा जारी डियो (यान्ते है। वेतता अध्या त्राधा हिम् विति विना) डो डांछिन द्वारा -पारे। 15/1/201 et -1201 19/01-19/01/2016 oneil, की उरकित करना जाते! 10/00/16 Bugar Kolan सा / तपुक्त इ. साराम, ७३५ शिक्षा विधि - विभार उरवी से । आम्बर ड्या विभाग

Siles

क्रमांकः २२५ /विधि प्रकोष्ठ / 16, जबलपुर, दिनांक ५ फरवरी, 2016

प्रति.

बिशॅष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-न्यायालयीन प्रकोष्ठ, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, तीसरी मंजिल, भोपाल ।

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-2384/2016 डॉ0 सरोज गुप्ता, सहायक विषय:-प्राध्यापक- हिन्दी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर विरूद्व शासन।

विषयान्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा दाखिल किया जाना है।

प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रकरण क्रमांक

: WP-2384/2016

2. याचिकाकर्ता का नाम : डाॅ० सरोज गुप्ता, सहायक प्राध्यापक- हिन्दी, शासकीय

कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर

प्रकरण का विषय : आपाती सेवा जोडने बावत्।

4. प्रकरण का संबंध

ः शासकीय महाविद्यालय,

5. संभाग

: सागर संभाग

प्रस्तावित प्रकरण प्रभारी

ः प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,

सागर ।

कृपया शीध्र प्रकरण प्रभारी आदेश जारी कर एक प्रति इस कार्यालय को

उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्न :- याचिका की प्रति ।

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर-संभाग जबलपुर

3/ 02/16

2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No. 2384 /2016

PETITIONER

Dr. Saroj Gupta, W/o Shri Harimohan Gupta, aged about 53 years, Assistant Professor (Hindi), Government Arts and Commerce College Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

VERSUS

RESPONDENTS

- 1. State of Madhya Pradesh, through Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Vallabh Bhawan Mantralaya, Bhopal (M.P.).
- Commissioner of Higher Education Government of Madhya Pradesh, Satpuda Bhawan, Bhopal (M.P.).
- The Principal, Government Arts and Commerce College Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

 Particulars of the Cause/order against which the petition is made:

(i) Date of Order

Nil.

(ii) Passed in Order No.

Nil.

(iii) Passed by

Nil.

मध्य रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग पंत्रालय

क्माक 88 २५ अक्राकि मित्रा रिमा का का रिमाल की 3 16 सिविल प्रकिया संहेता 1990 (1908 का अधि कत्म संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियन-1 तथा -1 अधीन शक्तिरां का प्रयोग करते हुए डिसिसिस्स अस्मालक उटक दिश्वा सागर

को या चेका कमांक 10 र 2394 2016

(पनकारों के नाम) डी अराज गुटना अहमाय प्राह्मायल विह्दी

शासकाय क्या एवं नावीय महरीनदालय सागर निरुद्ध शामन । के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं. प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति। तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकतः हो, आर याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिसरे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैय र करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रि गोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।
- समस्त सुर गत फाइलें, दस्तावेज, नि 1म अधिशूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उन्त रिपोरं तथा सामग्री के साथ शासकीय अधियक्ता से लम्पर्क करेगा ।
- 4/ शासकीय विववता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएमा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकं य अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

वाद / पत्र को एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका । 2/

प्रस्तावित जिखित कथन का प्रारूप ।

उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया जाना है।

मामले विश्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में बाद की तारीख भी यणिंत होनी चाहिये ।

6/ मामले की तैयारो और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और सबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा । जद भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य-के विरुद्ध पारित किया

जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधियक्ता की राय अगली कार्यवाहं। करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

- 9 / . यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त ं करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।
 - 10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, यह अई शासकीय पत्र के भाष्यम से सत्काल जानकारी देगा । वह दर्तमान पद भार देने के पश्यात् मी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।
 - 11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संगव भद्द /'सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावंज अप्रकटित नहीं रह जावे ।
 - महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
 - 13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं. ऐना मामलों में पाननीय मुख्य सचिव, का नाम विलापित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघाति गीघ आवेदन रायर कर विलोगित करवायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम र तथा आदेशानुसार

नियप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा दिन ग

प्रतिसिक्त-

महाविययता, उच्च न्यायत्वय मळा जयलपुर/इन्दोर/म्बालियः संमान न.प्र. की ओर । 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधार्थ कार्य दिमाग विध्यासन भवन भोपाल 2/

संबंधित जिलाध्यक्ष सार्वार

4/ अतिरिक्त सं चालक उट्य शिका आगर (म.प.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित । साध ही शासकीय अधिवक्ता से सन्मर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रग ते रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव है। भेजना चाहिये वाद पन की प्रति इस

जुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं । 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा जिल्लपुर से आजा जिल्लपुर (क.७.)

की और सूबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विनामः मंत्रालय, मोपाल